न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 43 / 2023

1 जयपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 ओमकंवर पत्नी राजेन्द्र जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 सुनिता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विरेन्द्र सिंह पुत्र अखेसिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 धर्मेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 चैन सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 महेन्द्र सिंह उर्फ मैनसिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
5 मंजु कंवर पुत्री शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। हाल भाढासर वाया धनकोली तहसील मौलासर जिला नागौर।
6 बदन कंवर पत्नी शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 जितु सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
8 उम्मेद सिंह पुत्र जगदीश जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
9 मोहन सिंह पुत्र ज़गदीश सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
10 सोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
11 धीरज कंवर पुत्री भंवर कंवर व जगदीश सिंह पत्नी जीवण सिंह जाति राजपूत निवासी कसुम्बी उपादड़ा का बास तहसील लाडनू जिला नागौर।
12 सायर कंवर पुत्री भंवर कंवर व जगदीश सिंह पत्नी मुकेश सिंह जाति राजपूत निवासी गुगड़वार कुकनवाली तहसील कुचामन जिला नागौर।
13 नरपत सिंह पुत्र बदन कंवर नाती भंवर कंवर जाति राजपूत निवासी कसुम्बी उपदड़ा का बास तहसील लाड़नू जिला नागौर।
14 सुरेन्द्र सिंह पुत्र बदन कंवर नाती भंवर कंवर जाति राजपूत निवासी कसुम्बी उपदड़ा का बास तहसील लाड़नू जिला नागौर।
15 प्रेम कंवर पुत्री बदन कंवर नाती भंवरकंवर पत्नी धर्मवीर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपराली तहसील व जिला सीकर।
16 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नवलगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांकित 16.01.2023 मुकदमा उनवानी विरेन्द्र सिंह बनाम शंकर सिंह वगै. मु.नं. 114/2014 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट टे. नवलगढ़ पीठासीन अधिकारी दमयन्ती कंवर आरएएस

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मो. रफीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशोर जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—13.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 114/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 एक वाद घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 40, 418, 419, 505, 506, 507 वाके ग्राम झाझड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 में उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर दावे को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में अंकित किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 507 रकबा 1.15 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 3.01 हैक्टेयर में से वादी एवं प्रतिवादीगण को 1/2, 1/2 हक हिस्से के अनुसार काश्तकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

घोषित किया जाता है। लेकिन विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में भूमि खसरा नम्बर 41/1, 418, 419, 505/1, 507 मीन रकबा क्रमशः 0.30, 0.04, 0.74, 0.40, 0.01 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर किस्म बारानी–प्रथम का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं भूमि खसरा नम्बर 40/2, 505/2, 506, 507/2 रकबा क्रमशः 0.30, 0.02, 0.06, 1.14 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म बारानी–प्रथम का जितु सिंह, उम्मेद सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह, पिता जगदीश सिंह हिस्सा 20/63, धर्मेन्द सिंह, चैन सिंह, महेन्द्र सिंह पिता शंकर सिंह, मंजु कंवर पुत्री शंकर सिंह हिस्सा 5/63, ओम कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह, जयपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, सुनिता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह हिस्सा 5/63, धीरज कंवर, सायर कंवर पुत्रियां जगदीश सिंह हिस्सा 1/63, नरपत सिंह, सुरेन्द्र सिंह, प्रेमकंवर पुत्र/पुत्रियां बदन कंवर नातीन भंवर कंवर हिस्सा 1/126 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विचारण न्यायालय के द्वारा तनकी संख्या 1 व 3 का निर्णय करते समय अपने प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 में अंकित किया है कि खसरा नम्बरान में राजस्व रिकार्ड के मुताबिक पक्षकारान का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है इसलिए घोषणा की रिलिफ की जानी उचित प्रतीत नहीं होती है। फिर भी विचारण न्यायालय के द्वारा एक तरफ तो घोषणा की रिलिफ खारिज की जाती है तथा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2023 के द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित करने का निर्णय किया जाता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विपरीत जाकर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की जाती है जो राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल व सिविल प्रकिया संहिता के रूल्स के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के द्वज्ञरा अपने प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री में तनकी संख्या 2 का विनिश्चय किया गया है जिसमें अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 15 को पाबन्द किया गया है। उक्त तनकी को वादी के पक्ष में निर्णित किया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री

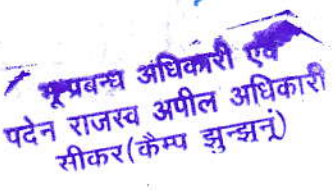

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिनांक 20.09.2021 के द्वारा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। लेकिन तहसीलदार नवलगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव बनाते समय अपीलान्टस को नोटिस जारी नहीं किया तथा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रभाव में आकर सड़क के दोनों और स्थित भूमि खसरा नम्बर 418, 419, 505 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिये जाने का प्रस्ताव बनाया जो राजस्व नियम 18 से 21 के विपरित है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 10 जो दावा में वादी संख्या 5 था कि तामिल नहीं देखी। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की तामिल ही नहीं करवाई गई तथा ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को जवाब देही का अवसर दिया गया। भूमि खसरा नम्बर 505 को मौके पर अपीलान्टस काश्त करते है तथा वर्तमान समय में भी खसरा नम्बर 505 की भूमि अपीलान्टस के कब्जा काश्त में है। फिर भी तहसीलदार नवलगढ़ ने मौके के विपरित जाकर मौका रिपोर्ट व विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार शामलाती दर्ज है उसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में उज्र उठाया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार के समय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो नियम विरूद्ध है इस संबंध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने पर सभी पक्षकारों को सूचना जारी कर ही तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 505, 507, 419 में वादी को 1/2 हिस्से तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी को बराबर–बराबर भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार निर्धारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

प्रपत्र में तैयार किया हुआ है। पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया गया। खसरा नम्बर 506, 507 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 519, 518, 505 पर वादीगण का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 505 में से आने–जाने का रास्ता छोड़ा गया। खसरा नम्बर 507 में से रास्ता बाबत जितनी भूमि गई उतनी दी गई है। खसरा नम्बर 40 दूर है उसमें 1/2–1/2 हिस्सा बराबर–बराबर विभाजित किया गया है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान व गांव के मौतविराने के हस्ताक्षर करवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर विरेन्द्र सिंह व मैनसिंह के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के समय उम्मेद सिंह पुत्र जगदीश (प्रतिवादी), मैन सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह(प्रतिवादी), विरेन्द्र पुत्र अखेसिंह(वादी), जयपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह(प्रतिवादी) विभाजन प्रस्ताव पर जिसने हस्ताक्षर नहीं किये है उनका विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इन्कार होना अंकित है। विभाजन प्रस्ताव में कुल भूमि में से 1.49 हैक्टेयर भूमि का वादीगण एवं 1.52 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादीगण को हिस्सा विभाजित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारों को सूचना प्रेषित कर तैयार किया हुआ है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी मैन सिंह हस्ताक्षर भी होना अंकित है तथा जिसने हस्ताक्षर करने से मना किया गया है उनका विभाजन प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने से इन्कार होना अंकित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार शामलाती दर्ज है उसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

ने प्रार्थना पत्र में उज्र उठाया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार के समय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो नियम विरूद्ध है इस संबंध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने पर सभी पक्षकारों को सूचना जारी कर ही तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 505, 507, 419 में वादी को 1/2 हिस्से तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी को बराबर–बराबर भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया हुआ है। पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया गया। खसरा नम्बर 506, 507 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 519, 518, 505 पर वादीगण का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 505 में से आने–जाने का रास्ता छोड़ा गया। खसरा नम्बर 507 में से रास्ता बाबत जितनी भूमि गई उतनी दी गई है। खसरा नम्बर 40 दूर है उसमें 1/2–1/2 हिस्सा बराबर–बराबर विभाजित किया गया है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान व गांव के मौतविराने के हस्ताक्षर करवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर विरेन्द्र सिंह व मैनसिंह के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के समय उम्मेद सिंह पुत्र जगदीश (प्रतिवादी), मैन सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह(प्रतिवादी), विरेन्द्र पुत्र अखेसिंह(वादी), जयपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह(प्रतिवादी) विभाजन प्रस्ताव पर जिसने हस्ताक्षर नहीं किये है उनका विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इन्कार होना अंकित है। विभाजन प्रस्ताव में कुल भूमि में से 1.49 हैक्टेयर भूमि का वादीगण एवं 1.52 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादीगण को हिस्सा विभाजित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारों को सूचना प्रेषित कर तैयार किया हुआ है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी मैन सिंह हस्ताक्षर भी होना अंकित है तथा जिसने हस्ताक्षर करने से मना किया गया है उनका विभाजन प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने से इन्कार होना

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अंकित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)